THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) and (b). Some complaints have been received and these are being looked into.

आमों की नई किस्म

1116. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 'नीलम' तथा 'दशहरी' आमों के संकरण से जो नयी किस्म तैयार की गयी उसके कितने पौधे तैयार करके केन्द्रीय पौधशालाओं (नर्सरियों) को लगाने के लिए दिए जा चुके है और इन्हें तैयार करने का काम किस-किस स्थान पर किया जा रहा है ; और

(ख) किन क्षेत्रों में इस किस्म के आम की अधिक माग है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) मल्लिका किस्म, जो नीलम और दशहरी आमों के संकरण से तैयार की गई है, की छः सौ चश्मेयुक्त कलमें (बड स्टिक्स) गत वर्ष दो केंद्रीय संस्थानों तथा नौ कृषि विश्वविद्यालयों व अनुसंधान केन्द्रों को दी गई है। इसके अतिरिक्त, 48 कलम चढ़े पौधे प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स को, 20 पौधे परिचालन अनुसंधान प्रायोजनाओं के अधीन कार्यरत केन्द्रों को तथा 108 पौधे विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीय प्रदर्शनी हेतु दिए गए है। इन केन्द्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी अपनी पौधशालाओं (नर्सरियों) में इनका प्रचार करेंगे। वर्तमान स्थिति में, इन पौधों की संख्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में बढ़ायी जा रही है।

(ख) इस किस्म की मांग देश के उत्तरी, उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी है।

विश्वविद्यालयों कालेजों में शिक्षकों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों के प्रत्याशियों को प्राथमिकता

1117. **श्री नवाब सिंह चौहान : क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तथा अन्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को, यदि वे निर्धारित योग्यताएं पूरी करते हों, कोई प्राथमिकता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में नियम क्या है और क्या इन नियमों का पालन किया जा रहा है। और

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई है। यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) से (ग). विश्वविद्यालयों/कालेजों में लेक्चरारों के पदों पर भर्ती के लिए, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों हेतु आरक्षण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य विश्वविद्यालयों राज्य सरकारों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित प्रक्रिय की सिफारिश की है :—

(1) प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व विश्वविद्यालय को लेक्चरारों के पदों पर भर्ती के लिए उस वर्ष के दौरान होने वाली सम्भावित रिक्तियों को निर्धारित कर लेना चाहिए।

(2) आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत भरे जाने वाले पदों की संख्या संकायवार निर्धारित की जानी चाहिए किन्तु किसी भी पद को "आरक्षित पद" के रूप में पदनाम नहीं दिया जाना चाहिए। इन पदों के विज्ञापन में यह सूचित कर देना चाहिए कि योग्य समझे गए अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय, लेक्चरार के पद पर भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं को पूरा करने वाले अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों के सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुला सकता है।

(3) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्ध रखने वाले उम्मीदवारों का साक्षात्कार प्रथमतः अलग लेना चाहिए। फिर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों का साक्षात्कार अलग से लेना चाहिए।

(4) यदि समिति द्वारा लिए गए साक्षात्कार में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों में से लेक्चरार के पदों पर नियुक्ति हेतु कोई भी उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है तो चयन समिति उपयुक्त उम्मीदवारों की, तीन वर्ष की अवधि तक के लिए 700–1300 रुपए के वेतनमान में शोध सहायकों के रूप में नियुक्ति की सिफारिश कर सकती है और बाद में ये व्यक्ति रिक्तियां होने पर लेक्चरारों के पदों के लिए प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। फरवरी, 1977 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों से इस मामले में की गई कार्यवाही अथवा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही से अवगत कराने का अनुरोध किया था। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से प्राप्त उत्तरों का सभा पटल पर रखे गए संक्षेप परिशिष्ट I में दिया गया है [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी 411/77] राज्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त उत्तरों का सभा पटल पर रखे गे संक्षेप परिशिष्ट II में दिया गया है [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए स या LT 411/77] अन्य राज्य विश्वविद्यालयों से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

तोल में कम तथा घटिया किस्म के उर्वरकों की बिक्री

1118. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि किसानों को उर्वरकों की ऐसी बोरियां बेची जाती हैं जिनका वजन निर्धारित मात्रा से कम होता है तथा जिनमें निर्धारित मूल तत्व कम होते हैं किन्तु उनकी घटी मात्रा का मूल्य कम नहीं किया जाता,